

just before m_c referred to the | hardship that may be caused to certain people who have been residing here for, a_s he said over 25 years. Well, all that I have to submit in that regard is that if he had really taken time to see the simple amendments that the present Bill seeks to introduce, he would not have come to that conclusion. It very well says that J people of Indian origin who have been in the country fo_r a period of five years are entitled to claim the citizenship of our country. And even Clause 2 of the Amendment Bill only places an embargo on the claim of citizenship by those people who come to the country after the passing of the present Bill. All those people who were born in the territory of India before this Bill takes the form of law will not be debarred by the new provisions, and hence, I feel that there is nothing as s_{ir}ch which debar_s those people who may have been in this country and who fulfil the requisite conditions to tclaim the citizenship.

Finally, Madam, I would only refer to one provision, that is, Section 6(A) "which was introduced by the amendment last year. I would like to bring to the notice of the hon. Member who was just speaking before me that the present restriction of the definition of the words 'Indian origin' would not affect those persons who are covered by the provision of Section 6(A) of the principal Act.

With these words, Madam. I support the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN. - Now the House stands adjourned for lunch. We will meet again at 2. 30 P. M.

The House then adjourned for lunch at thirty minute_s past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri Pawan Kumar Barasal) in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Enforcement of Environment (Projection) Act, 1986

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजनलाल):
महोदय हमारे देश में अब पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत और पर्यावरणीय प्रदूषण से उत्पन्न खतरे के बारे में बहुत जागरूकता पैदा हो गई है। यह चेतना हमें हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से वसीयत के रूप में मिली है जिन्होंने 1972 में स्टाकहोम, सम्मेलन में और उससे पहले भी पर्यावरण के साथ विकास के समन्वय की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था।

हमारे देश में जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। बेकार चीजों को अनियमित रूप से फेंक देने और जहरीले रसायनों के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण पैदा होता है उससे हमारी जनता के कल्याण के मार्ग में गम्भीर उन्मूलन आ रही है। भोपाल गैस वासदी से मानव सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं से भी उत्पन्न हो सकता है।

इस संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा विधेयक को संसद में पेश किया गया था। जिसमें पर्यावरणय मामलों और इस सम्बन्ध में किए जाने वाले आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की गई है। यह सम्भवतः विश्व में अपने विस्म का पहला एकीकृत कानून है। संसद ने विधेयक को पारित कर दिया था और मई, 1986 में राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय गति विधि का हर एक क्षेत्र आता है और इसके कार्यान्वयन के लिए सशक्त वैज्ञानिक सहयोग की ज़रूरत है। सरकार ने पिछले कुछ

[श्री भजन लाल]

महीनों में, इस संबंध में विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त की है और इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं।

इन नियमों में सात उद्योगों के संबंध में मानक, निर्देश जारी करते समय केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जाने वाली प्रतिक्रियाएं उद्योगों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में रोक और प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रक्रियाएं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया अथवा संचालन, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के कार्य, सरकारी विश्लेषकों की योग्यताएं और नमूने लेने की प्रणालियां, नमूनों और प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत कराना शामिल है।

जैसा कि आप लोगों को पता है इस अधिनियम में सम्भवतः पहली बार वह प्रावधान रखा गया है कि न्यायालय ऐसे अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जिनकी अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 60 दिनों का नोटिस देकर किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो। नोटिस देने का तरीका बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है।

और अधिक उद्योगों के लिए मानकों, खतरनाक पदार्थों, राज्यों तथा अन्य विनियामक एजेंसियों आदि को अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में अधिनियम के अन्तर्गत अन्य आवश्यक नियम बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। पर्याप्त रूप से सज्जित वर्तमान प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी और वहां जहां आवश्यक हो नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

पर्यावरण के सभी पहलुओं की सुरक्षा करके दीर्घकालिक विकास आधार सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा हमारे सामने रखे गए और हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा स्वीकृत किए गए लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिये सरकार कृत संकल्प है। हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए पर्यावरण से बेहतर पर्यावरण अपनी

अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में देने के राष्ट्रीय संकल्प की सही अभिव्यक्ति पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से होगी। अतः सरकार ने इस अधिनियम और नियमों को श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में 19-11-1986 से लागू करने का निर्णय लिया है जो सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण मामलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, यह कितने दुःख का विषय है कि सन् 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत ने भी भाग लिया था और जो निर्णय वहां पर पर्यावरण के संबंध में, भारत ने भी उन के अपनी सहमत व्यक्त की थी। लेकिन 1972 से लेकर आज 1986 हो गया, 14 वर्ष हो गये और केवल चार, पांच महीने पूर्व इससे संबंधित अधिनियम पारित किया गया दूसरे यह भी दुःख का विषय है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन काल में इस संबंध में हम कोई अधिनियम पारित नहीं कर पाये और आज मैंने जानने की कोशिश की कि किसी भी अधिनियम को लागू करने के सिलसिले में, जहां तक मैं जानकारी कर पाया हूं, शायद यह पहला वक्तव्य हो रहा है जो अधिनियम को लागू करने के दिन सरकार के किसी मंत्री द्वारा दिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह परिपाटी कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। क्योंकि बहुत से अधिनियम और कानून हम पास करते हैं। उन के अन्दर बहुत से विनियम पारित करते हैं, लेकिन जिस दिन उन को लागू किया जाता है उस संबंध में ऐसे एक नयी परिपाटी चलाना, मेरी अपनी समझ से कोई स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है।

हमारे देश में विशेषकर पिछले साल दो घटनाएं हुईं। एक बोपल गैस का दुर्घटना जो हुई वह था और उसके बाद दिल्ली में भी

दो, तीन स्थानों पर छोटा मोटी घटनाएँ हुई और दूसरे में समझता हूँ कि कुछ माह पूर्व सिद्धार्थ होटल में संबंधित घटना हुई और उस का कारण भी दूषित वातावरण था। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि सिद्धार्थ होटल के संबंध में जो रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है उस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। हो सकता है कि उसका कार्यान्वयन इस विभाग से संबंधित न हो लेकिन फिर भी दूषित पर्यावरण भी एक कारण था उस दुर्घटना का। और दूसरे जो हमारा कानून है उसमें इन बात की चर्चा की गयी थी कि जो यूएम बीएस हैं उनसे संबंधित यह कानून लाया गया है। तो आज के समाज में जो मनुष्य है वह राजनीति से भी संबंधित है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से संबंधित है। तो इस ओर भी सरकार को खयाल करना चाहिए कि जो हमारा राजनीति वातावरण दूषित हो गया है उस को ठीक करने के लिये सरकार क्या प्रयास करने जा रही है ?

श्री शंकर सिंह वाघेला (गुजरात) :

मान्यवर, हमारी केन्द्रीय सरकार पर्यावरण के बारे में चिन्तित है यह एक अच्छी बात है। लेकिन पर्यावरण केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है। राज्य सरकारों के पास भी पोल्यूशी बोर्ड काम करते हैं। तो जैसे हमारे जयवंत सिंह जी बोलने वाले थे मारवाड़ में, पानी में, जोधपुर में, गुजरात के राजकोट में कपड़ा रंगने और छपाई का काम करने वालों के पास से जो कलर निकलता है वह वहाँ के पानी में जाता है और परकोलेट हो है और वहाँ के लोग उसी पानी को पीते हैं। तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के पर्यावरण बोर्डों को ताकीद करेगी कि राज्यों में जहाँ ऐसे पानी के या दूसरे प्रावलम हैं उन के लिये वह चिन्ता करे और देखे ताकि वहाँ पोल्यूशन न हो।

दूसरे पर्यावरण क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हिसाब से भोपाल में भी प्रावलम हुआ। अभी तक श्रीराम फटिलाइजर का फैसला नहीं हो सका। तो जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, कैमकल इंडस्ट्रीज हों दूसरी इंडस्ट्रीज हों, या जो छोटे-छोटे डैम जो बना रहे हैं, वहाँ भी फॉरस्ट का क्लियरेंस बाकी है, वैसे नर्मदा डैम को आज भी क्लियरेंस नहीं मिल सका है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, हर रोज 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी आप चाहे बड़े डैम बनाएं या उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं या दूसरी जो इंडस्ट्रीज के विकास की जो बात है आपके जो टेक्नालाजी के जो प्लांट हैं जैसे एशिया में चैन्नोबिल वाला मामला है, इसको दुनिया जानती है, तो क्या विकास की बात को सामने रखकर और पर्यावरण को आगे रखकर इसके बारे में कोई क्लियर निर्णय करेंगे ?

तीसरी बात आपकी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करती है चाहे एयर का हो या पानी का हो, चाहे वह आईपीसीएल हो या इफको प्लांट हो, इसके लिए फौरन सरकार कार्यवाही करेगी ? कृपया मेरे इन सवालों को स्पष्ट करें।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh); Sir, we welcome the announcement that the Bill which has become an Act is being enforced and implemented from today. We are very thankful to the hon. Minister for the settlement which he has made just now.

Sir, as you know, ecology is the most important thing for the biological existence of species, whatever the species may be, whether it is man or a plant or an animal. Unless the ecological balance is maintained, the entire evolution itself will come to a standstill. That is way, it is of the greatest importance. But as you know, we have been very liberal at times in giving licences to contractors, forest con-

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

tractors, industrialists and so on. These people have been given licences right and left. As a result of this, most of the forest areas have been denuded. Now, we have only 16 per cent of the land under forestry. This is the greatest danger to our country. Unless we methodically take up a plan of afforestation and give sufficient money to the States so that the forestry programme can be successfully implemented, it will become very difficult.

Take, for example, industrial wastes. We know quite well that it is the international agencies which have come into the picture, the multi-nationals and their collaborators who are responsible for this. They have got strength enough to flout all these Acts and rules. You know the fate of the drug industry in our country. There are 40,000 patents and the World Health Organisation has said that 200 generic drugs are sufficient to cater to the needs of the entire country, and that medicines at cheaper rates can be made available to everybody. But we have surrendered...

"THE MICE-CHAIRMAN (SHRI PA-WAN KUMAR BANSAL): Clarifications please.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: We have surrendered to the pressures of the multi-nationals and what has been the result? There was the Bhopal tragedy. Even now, things are not settled. Even though we have said that we have got all these Acts, issues have not been settled. Take, for example, pollution by manufacturers of cement. Pollution by manufacturers of paper. They leave the effluents and other waste. These things destroy the environment. It makes living difficult even in the case of fish which slowly die. The environment gets so much polluted that it becomes difficult even to take up afforestation programmes. Therefore, this is a huge problem. I appreciate the fact that the hon. Minister has set out the national objectives and the need for people's participation in this programme.

Let the Government of India consider it as a most important problem and help the States to surmount the difficulties and not to interfere on certain occasion* when the industrialists will have to be put in order. In this way only the Acts can be successfully implemented.

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is no denying the fact that protection of environment of the country continues to be a serious problem and, as a step forward, the Central Government came out with this piece of legislation, the Environment (Protection) Act, 1986. What occurs to me is that the provisions of this Act one ought to be implemented by the State Governments and their agencies. May I know, what specific machinery has been evolved by the Government of India in monitoring the implementation aspect of this Act by the State Government and its agencies? Secondly, as you are aware, certain State Governments, on their own initiative, are also enacting laws for protecting environment. May I know what arrangement has been made to ensure coordination between the State Governments and the Government of India in this sphere? Thirdly the Environment Protection Act solely relates to hazards for human beings. It has nothing to do with protection of other species and nature. May I know whether he is contemplating to bring forward a suitable amendment to the present Act so as to cover other species and nature?

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद भजन लाल जी का यह प्रथम भाषण होगा इस सदन में। मैं आपके इस प्रथम भाषण के लिए आपका अभिनन्दन करता हूँ। मैं यह उचित मानता अगर कोई विशेष बात आप यहां पर्यावरण की नीति के सम्बन्ध में, वन रीति के सम्बन्ध में हमारे सामने रखते। हमने आज तक देखा कि कोई भी मंत्री बयान देते हैं तो कोई नई दिशा, कोई नई भावनात्मक चर्चा की बात होती है। आपने इसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि आज 19 तारीख से इसको एनफोर्स कर रहे हैं।

इसमें मुझे कोई नई बात नहीं लगी । इसमें क्यों इतनी देर लगी यह अलग बात है । मई से लेकर नवम्बर तक क्यों रुके रहे ? आज की तिथि की राह क्यों देखते रहे मुझे नहीं पता और मैं इसमें ज्यादा अधिक कहना भी नहीं चाहता ।

श्री जसवंत सिंह (राजस्थान) :
यह बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ।

डा० बापू कालदास : मैं सिर्फ दो क्लेरिफिकेशन जानना चाहता हूँ । एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह दुनिया भर का सवाल है । आप जानते हैं कि 25 अप्रैल को चेर्नोबिल में एक इंसीडेंट हो गया था इससे सारी दुनिया में एक लहर दौड़ गयी थी । मैं कलपाकम गया था । आप कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट कर रहे हैं नान पाल्युशन, नान एक्सप्लोजन । जो हमारे यहां शास्त्र कहते हैं उसके बारे में मेरे मन में आशंका है । मैं खुद वहां गया था । मैंने देखा भी है, वह हमको कहते हैं कि काफी सेक्युरिटी है । आप जाते होंगे कि बम्बई के नजदीक आपने यूक्लिअर चिप्स की शमशान भूमि बनाई है । करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं । यह आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पर्यावरण खराब होता है वह न हो । दलितों के लिए देहातों में शमशान भूमि नहीं है और हमारे यहां अटोमिक रिएक्टर चिप्स के लिए शमशान हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई हंड्रेड परसेंट गारण्टी नहीं दे सकता कि पर्यावरण को दूषित करने से रिएक्टर रोक सके । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अटोमिक रिएक्टर यहां आप इस देश में ला रहे हैं । मैं यह कहूँ कि जून में मैं स्वीडन में गया था तो अटोमिक रिएक्टर जो चेर्नोबिल में हुआ, उसके बाद Sweden has stopped their atomic reactor and they are going for other sources of energy. This has happened in Austria also. I was in Austria also. The Governments are postponing their programmes. I do not understand why our Gov-

ernment is so much bent on starting so many things as far as atomic reactors and nuclear energy are concerned.

मैं आपसे केवल इतनी ही दवास्त करूंगा कि आप दुनिया के अनुभवों को ख्याल में रखें । जहां तक एनर्जी का सवाल है, ऐसी एनर्जी की बात आप इस देश में सोचें कि जो हमारे देश के लिए उपयुक्त हो । अगर किसी से एक्सीडेंटी भी खतरा हो सकता है, जैसे एटम बम के परीक्षण से, तो आप ऐसी खतरनाक एनर्जी के पीछे दौड़ने के बजाय इस देश में जो एनर्जी उपलब्ध है, जो नान-पोल्यूशन वाली है, उसको इस देश में चलाइये । मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी एनर्जी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं, यह जरा हमें बताइये ।

श्री प्रभाकर राव कलवला (आंध्र प्रदेश) : मंत्री जी ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो मैं समझ रहा था कि ये कोई विशेष बात कहेंगे और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं । मैं अपनी स्टेट के बारे में कहना चाहता हूँ । मेरे जिले में लगभग 15 से 20 तक सीमेंट फैक्ट्रीज हैं । आज कोई जाकर उस एरिया को देखे । वहां पर 10 से 15 गांवों में धूल जमी हुई है । पानी में धूल है, क्रोप में धूल है, घरों में धूल है, रोड्स पर धूल है और यहां तक कि खांसने में भी धूल ही धूल है । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीमेंट की फैक्ट्री लगाते समय या इसी तरह की कोई दूसरी चीज लगाते समय क्या आप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से रोकने के लिये कोई बन्दोबस्त करते हैं ? अगर आप कोई ऐसी कन्डीशन लगाते हैं तो फिर यह धूल क्यों फैलती है ? गांवों में इस तरह से धूल क्यों हो जाती है । क्या आप इसके लिये कोई एरेंजमेंट करेंगे ताकि गांवों को पोल्यूशन से बचाया जा सके ? चूंकि इन कानूनों का ठीक से आपरेशन नहीं होता है इसीलिये जनता को तकलीफ हो रही है । इस पोल्यूशन के कारण जनरेशन की जनरेशन को खतरा पैदा हो गया है । क्रोप को खतरा पैदा हो गया है । इस पोल्यूशन

[श्री प्रभाकर राव कलवतः]

के कारण त्रुप का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। क्या आप इसके लिये कोई बन्दोबस्त करेंगे? फ़ैक्ट्रीज से जो केमिकल बाहर जाते हैं, जो वेस्ट बाहर जाता है उससे पानी खराब होता जा रहा है। उसके कारण बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। क्या आप इन बातों से इंसान और नेचर को बचाने के लिये कोई बन्दोबस्त करेंगे।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: (Andhra Pradesh); Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to know from the Minister why he has taken so much of time to make this statement in this House. After Stockholm, you have taken 14 years to pass the legislation in Parliament and after passing this law, you have come to this House, now, to make a statement about implementation of that law. I do not think you are sincere about implementing the law. I would like to inform the Minister that the whole country has been polluted. All being cities—Bombay, Madras, Calcutta or Delhi—have been polluted. Not only the cities, every street, every home has been polluted, every river has been polluted. So this is a very important issue and yet you have taken so much of time to make a statement about implementing this law. I would like to know from the Minister whether you are sincere about implementing the law that has been passed by this House.

श्री मीर्जा इशार्दबेग (गुजरात) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ जो उन्होंने आज के दिवस पर एक सुन्दर वस्तु देश के सामने प्रस्तुत की है और ऐसी स्मृति में जिसको हिन्दुस्तान कभी भुला नहीं सकता। मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातें जानना चाहूँगा। देश में जल प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे देश के सामने कई नयी समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं। इस संबंध में पर्याप्त मात्रा में कानून बनाये गये हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों द्वारा उनका जो अमलीकरण है उस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता

हूँ कि इस सदन में आपके माध्यम से मैंने कुछ बातें कहीं थीं। ये बातें गुजरात के संबंध में थीं। आज भी मान्यवर, ऐसा न हो कि वहाँ भी भोपाल जैसा कांड फिर से गुजरात में न हो जाय। मैं मांग करके पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में, और खास करके फटिलाइजर के जो बड़े बड़े कारखाने वडोदा में स्थित हैं और उनसे वातावरण जो इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है, उसके संबंध में अभी तक कोई उपाय क्यों नहीं किये गये हैं? आज भी, जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहाँ पर, कानून होने के बावजूद उस कानून का अमलीकरण नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में मंत्री जी कौन से और किस तरह से शीघ्र कदम उठाना चाहते हैं?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी जिस राज्य से आते हैं वहाँ ऐसा क्षेत्र है जो कृषि का क्षेत्र है। लेकिन जो खाने वाली चीजें हैं, जो खाद्य अनाज हैं उन पर आज भी किसान डी०डी०टी० और 24 डी इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि बाहरी देशों ने, डेवलपड कंट्रीज ने डी०डी०टी० और 24 डी का प्रयोग अपने देश में निषिद्ध कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और इस और कौन से उपाय किये गये हैं?

मान्यवर, मेरा आखिरी प्रश्न यह है और मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के साथ बैठकर हमारी आपसे इस संबंध में बातचीत हुई है। देश के सामने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इरीगेशन का आ रहा है, वह है नमदा प्रोजेक्ट। लेकिन यह नहीं हो पा रहा है और इसके कारण राजाना 3-4 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं। वह स्कीम नहीं हो पा रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की क्लेयरेंस नहीं हुई। इनवायरमेंट डिपार्टमेंट की ओर से इसकी क्लेयरेंस नहीं हुई है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप इकोलाजीकल इम्बैलेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं जिनके

पूरा होने से करोड़ों करोड़ लोगों को सुविधा मिल सकती है। आज जो पानी की स्केयरसिटी खड़ी हो गई है उस सूरत में जब कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को उससे पानी मिल सकता है, तो उनको इससे लाभ मिले, इसलिये इनवायरमट का क्लेयरेंस जो बाकी पड़ा है उसको आप किस अवधि तक निपटाने की कोशिश करेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you. Environment is a factor for human survival and the entire biological life depends upon the environment. The honourable Minister has selected a very good occasion to adopt this rule from today. Shrimati Indira Gandhi was very fond of the environment and nature and I think this is a really proud thing being done in the memory of Madam Gandhi. Now I would like to seek some clarifications.

I would like to ask the honourable Minister whether this Act is going to be applied to new and upcoming industries or old industries. That should be clarified. Because, in Bombay, on the Bombay-Agra road Kurla and Chembur are there and Chembur has become a gas chamber. It is totally polluted and the life period of "whatever human life is existing there is also reduced. That is the situation. In big cities like Bombay, Calcutta and Madras there are slum areas there and there are factories also which do not observe any environmental rules. So, what action are you going to take against them? Also, what steps are you going to take to protect biological life and implement an effective afforestation plan in India?

Just as my honourable friend has pointed out—I will add one more thing—fue to use of insecticides and poisonous chemicals, worms and other important insects are getting totally destroyed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PA-WAN KUMAR BANSAL): They want to destroy insects.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: This is very much connected with it. Will the Department of Environment issue directives to the Department of Agriculture to use the biological method of controlling insects, pests and so on? I, Want these clarifications.

श्री कल्पनाय राय (उत्तर प्रदेश) :

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज पूजनीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिन पर जो हमारे मंत्री महोदय ने पर्यावरण के संबंध में वक्तव्य दिया है मैं इस का स्वागत करता हूँ। आज के संदर्भ में जल-प्रदूषण पर्यावरण का प्रदूषण, औद्योगिक क्रांति के नाते शहरों का प्रदूषण यानि हिन्दुस्तान में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। जल के प्रदूषण के कारण अनेकों अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं और पेड़ों के कटने के कारण पूरे देश की जलवायु और वातावरण विषाक्त बन रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती थी कि इस मुल्क में 33 प्रतिशत धरती पर पेड़ लगाए जाएं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उन पेड़ों की कटाई भी एक बहुत बड़े पैमाने पर आज भी हो रही है। कानून यह है कि पेड़ नहीं काटेंगे जो पेड़ काटेगा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन अफसोस यह है कि आज पूरे देश भर में हर प्रान्त के अन्दर इस कानून के जाने के बावजूद भी पेड़ों की कटाई हो रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे कुछ सख्त कानून बनाएंगे कि जिस प्रान्त के अन्दर पेड़ काटे जाएंगे उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी दूसरी चीज औद्योगिक पोल्यूशन की बात है। इस तथ्य के बावजूद भी सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो कारखाने होंगे उद्योग धन्धे होंगे वे उन मिलों में लगे होंगे जो नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट होंगे लेकिन इसके बावजूद भी जो नये कारखाने बन रहे हैं वे वहां बन रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में पहले से कारखाने हैं। चाहे फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, हैदराबाद हो, इन शहरों में हजारों नये कारखाने

[श्री बलपनाथ राव]

लग रहे हैं परिणामस्वरूप इतना विषाक्त वातावरण बन रहा है जिससे बहुत से शहर धुएँ से आच्छादित हो गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर गम्भीर संकट पैदा हो रहा है। मैं इस वक्तव्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और हमें आशा है कि आप भी ऐसे कुछ करें और इस ढंग से कानून लाएंगे ताकि अपराधियों को विषाक्त वातावरण बनाने में मदद न हो। आज देश के सामने जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों को काटने के कारण प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण का जो संकट है इसको दूर करेंगे ताकि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें।

श्रीमती शान्ति पहाड़िया (राजस्थान) : श्रीमान, मैं यह कहना चाहती हूँ कि भरतपुर में एक रेल फैक्टरी है इस फैक्टरी का इतना गंद शहर में फैला रहता है कि और शहर की आबादी भी वहाँ तक पहुँच गई है इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें और उसको ठीक करवाएं। दूसरा दिल्ली में तुगलकबाद में एक बम बनाने की फैक्टरी है यह फैक्टरी अब आबादी के बीच में आ गई है। मन्त्री जी इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि वहाँ पर नजदीक कुछ सोसाइटीज के मकान बने हुए हैं, डी० डी० ए० के मकान बने हुए हैं, प्राइवेट मकान बने हुए हैं मैं यह चाहती थी कि मन्त्री जी इस पर ध्यान दें और ऐसी फैक्टरी को किसी और जगह ले जाएँ जहाँ पर आबादी न हो और यह आबादी के लिए खतरे का कारण बने तथा इस से आबादी को नुकसान न होने पाए।

श्री भजन लाल: आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भालवीय जी ने कहा कि यह परिपाटी गलत है कि संसद में कोई एक्ट के बारे में वक्तव्य देने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते

हैं कि कोई भी अच्छा काम जब किया जाता है। और उस अच्छे काम के साथ जब किसी महान और अच्छे व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ हो तो उनके साथ जोड़ना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। . . .
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको पहले भी एलर्जी था अब भी है।

श्री भजन लाल : आप सुनने का कष्ट करिए, मैंने तो बीच में कुछ कहा नहीं।
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गांधी जी का नाम जोड़ते ?

श्री भजन लाल : गांधी जी का नाम भी उन्हीं के बीच में है। गांधी जी का नाम भी है, पंडित जी का नाम भी है, आपका नाम भी उनके बीच में है। सब का नाम है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं है। आप भी तो रुचि रखते हैं कि पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी का नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बहुत अच्छा कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। कानून तो पहले से है, बहुत से सदस्यों ने कहा कि कानून नहीं था। कानून तो पहले से ही था, लेकिन वह कानून सिर्फ नाम मात्र के तौर पर था। उसमें कोई ऐसा सख्त प्रावधान नहीं था कि किस को सही सजा हो सकती है, और सही जुर्माना कर सकते हैं? कौन उस पर शिकायत कर सकता है या नहीं कर सकता है? इस कानून को हमने बहुत अच्छा और शानदार बनाया है। चाहे कोई सरकारी फैक्ट्री है, चाहे कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, अगर कोई भी पोल्यूशन करता है तो दो महीने पहले उसको नोटिस देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सी पुरानी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। प्रोजेक्ट जब बनता है तो उस समय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगता है ताकि उसमें से जो गंदा पानी निकले, किसी भी ह्यूमेन के लिए, व्यक्ति के लिए पशुओं के लिए जीव-जन्तुओं के लिए वह नुकसानदेह नहीं हो। ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगना चाहिए। लेकिन बहुत सी फैक्ट्रियां

पहले लग गई और उस प्रोजेक्ट में कोई स्थान नहीं रहा। अब हमने उनको परस्यूएड किया है बाकायदा सैमिनार करके, वर्कशॉप लगाकर के, उनकी मीटिंग करके उनको समझाया है कि आज-देश की सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वह पर्यावरण की समस्या है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर मुल्क का वायु-मंडल ठीक नहीं होता तो वातावरण भी ठीक नहीं रह सकता। हवा और पानी अगर ये दो चीजें ठीक हो जाएं तो बहुत सी बातें भी हल हो जाती हैं। यह हवा और पानी ठीक कैसे हो उसी के लिए यह कानून बनाया है। हम परस्यूएड करते हैं, समझाते हैं और उसके बाद दो महीने का नोटिस देते हैं। दो महीने के नोटिस के बाद जिसकी फ़ैक्टरी प्रदूषण करती है या तो वह आकरके यह कहे कि 6 महीने या एक साल के अन्दर वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेगा। तब उसको 6 महीने की या एक साल की इजाजत दी जाती है। आप जानते हैं कि वह एक सैकण्ड में जादू से या मंत्र से तो यह प्लांट लग नहीं सकता। उसके लिए आखिर मशीनरी लेनी पड़ती है और बाद में प्लांट लगाना पड़ता है। उस दौरान भी अगर वे प्लांट नहीं लगाते हैं तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा रखे है कि 5 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना किया जायेगा। उसके बावजूद अगर दूसरी बार वह गलती करता है तो उसे सात साल की कैद और पांच हजार रुपये डेली यानी रोजाना जुर्माना बढ़ा करना पड़ेगा। यह इतना सख्त कानून हमने बनाया है ताकि पर्यावरण का इन्जाम ठीक से हो सके। इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी जिक्र किया। वह बहुत पुरानी फ़ैक्ट्री थी। गैस लक हो गई और बड़ा भारी नुकसान हुआ। जितना इनका दुख है उतना ही सारे देशवासियों को भी इसका दुख है। लेकिन यह पर्यावरण की समस्या आज सारे वर्ल्ड की है, अकेले हिन्दुस्तान की ही नहीं है। बाहर के मुल्कों में जाकर देखें जापान में, अमरीका में, जर्मनी में तो आप खुद महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान से कहीं ज्यादा प्रदूषण आज वहां पर है। उन लोगों ने भी बड़ा सख्त कानून बनाया है और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हमने भी एक कानून बनाया है ताकि इस पर पूरी तरह से अमल हो सके और कोई भी आदमी पर्यावरण को गंदा करने की कोशिश नहीं कर सके। जहां तक स्टेटों का

ताल्लुक है, पर्यावरण के बारे में माननीय सदस्य एस० एस० साहब ने कहा कि बहुत सी जगह पानी आकरके मिल जाता है और पानी गंदा हो जाता है। यह ठीक बात है। आप ने देखा होगा कि गंगा में, यमुना में, नर्मदा में या ब्रह्मपुत्र में गंदे नाले आकर गिरते हैं। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया था और एनाउन्स किया था कि जितनी पवित्र नदियां हैं उनका जल खराब होता है, गंदे नाले उन में गिरते हैं और देशवासी उन में जाकर स्नान करते हैं किसी बुजुर्ग का जब मौत हो जाती है तो उस की अस्थियां उन में प्रवाहित की जाती हैं ताकि उन की आत्मा को शान्ति मिले। इसी सब बात को लेकर हम ने गंगा सफाई अभियान शुरू किया है और उसके लिये 240 करोड़ रुपया रखा गया है और तेजी के साथ उस का काम चालू है।

श्री जसवंत सिंह : यह तो जब बिल बना था उस समय इस सारे विषय पर गहराई से चर्चा हो चुकी है। इस समय तो हमारे मित्रों ने जो कहा है उस के बारे में आप बतायें।

श्री भजन लाल : आप में से किसी ने कहा कि तफसील से बतलायें। इसलिये मैं यह सब बताने जा रहा हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : माननीय मंत्री जी की यह मेडन स्पीच है, इस लिए उन को बोलने दीजिए।

श्री भजन लाल : ऐसा नहीं है। शायद आप ही उसमें न हों। यह नहीं है कि मैं यहां पहली बार बोल रहा हूं। बोलते-बोलते ही यह बाल सफेद हो गये हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस सदन में यह पहला भाषण हो रहा है।

श्री भजन लाल : शायद आप पहले यहाँ थे नहीं। सेम्बर बनने के बाद की बात है मैं कह रहा हूं (व्यवधान)

[श्री भजन लाल]

काम करने के लिए भी बोलना पड़ता है। दूसरे माननीय सदस्य ने पानी के बारे में कहा। नरीरा प्रोजेक्ट के बारे में दो तीन सदस्यों ने कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो प्रोजेक्ट हैं वे रुकने नहीं चाहिए। चाहे बिजली के प्रोजेक्ट लगाने की बात हो या बांध बनाना, नहरें निकाल कर किसानों को खेती के लिये पानी देने की बात हो। लेकिन जहाँ कहीं भी फारेस्ट नष्ट हो उतना ही फारेस्ट दूसरी जगह लगा दिया जाये इस से स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इसी तरह से फारेस्ट कटने लग जायेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। आज बहुत सा फारेस्ट कट चुका है। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि 1951-52 में हमारे मुक में साढ़े 7 करोड़ हेक्टेयर फारेस्ट था और अब वह घटते घटते 4 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर रह गया है। अगर यह जंगल कटते चले गये तो बात बरफ बढ़ा प्रदूषित हो जायगा। वनस्पति हम को वृक्षों से ही मिलती है। तो वृक्षों को लगाना बहुत जरूरी है और वह सभी रुक पायेगा कि जध उस में 5 वृक्षों का सहयोग होगा। अभी इस ने 24 तारीख को मॉटिंग रखी है और उस में हम किसी नतीजे पर पहुँच जायेंगे। जितने सरकारी प्रोजेक्ट हैं उन के लिये इजाजत मिलने में अगर कोई दिक्कत होगी।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : (जम्मू और कश्मीर) : इस के लिये काइंटिम लिमिट रखेंगे ?

श्री भजन लाल : एक टाइम लिमिट रख दी है कि तीन महीने के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट जिनका पूरा व्यौर मिला है उनका फैसला कर दिया जायेगा और जो क्लियर होने वाले नहीं हैं उन को स्टेट्स को वापस कर दिया जायगा। उन के लिये एक महीने में उनको जवाब वापस चला जायगा। तीन महीने में हम सारे मुक के प्रोजेक्ट्स का फैसला कर देंगे। रोकने का सबाल ही पैदा नहीं होता।

डक्टर साहब ने कहा जीव जन्तुओं के बारे में...

श्री शंकर सिंह वाघेल : पब्लिक अंडर टेकिंग के बारे में कहा था।

श्री भजन लाल : पब्लिक अंडर टेकिंग भी, कोई सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब को एक जैसे ट्रीट किया जायगा। चाहे इंडस्ट्री सरकारी हो या प्राइवेट सब के लिये कानून एक होगा। रिपयर्स का सब ल किसी के लिये पदा नहीं होता। तो जीव जन्तुओं को बचाने का सब ल है था पीछों को बचाने का सब ल है। सारी बात इस के अंदर आ जाती है। जब पानी सफ हो जायेगा तो जीव जन्तुओं के लिये कोई खतरा नहीं रहेगा। इसी तरह से जहाँ तक अधिनियम थे कहा गया कि सरकार ने घुटने टेक दिये, तो अगर घुटने टेकने की बात होती तो इतना कड़ा कानून बनने को क्या आवश्यकता थी। कड़ा कानून इसी लिये है कि किसी के साथ रिपयर्स न को जय।

एक बात सीमेंट उद्योग के बारे में टीका कही। देश में 104 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जिनमें से 84 बड़ी फैक्ट्रियां हैं बाकी 20 छोटी छोटी हैं। इन 84 में से 64 प्राइवेट लोगों की हैं और 20 पब्लिक सेक्टर में हैं। चाहे वे सहकारी समितियों द्वारा चलायी जाती हो या सरकार द्वारा 20 सरकारी फैक्ट्रियां में से 14 जो धुंधली धनी थीं य धूल उड़ानी थीं उनको हमने रोक है और उनमें बाकी 6 हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं उनमें सिर्फ 7 बाकी हैं, 13 पर काम चल रहा है और एक सीमेंट उद्योग की मीटिंग बुलवार एक वर्कशॉप करके एकस सेमिनर करके हमने फसल लिखा जुलई में, और उन्होंने वायदा दिया कि 1988 तक यानी दो साल के अंदर जितनी भी देश की फैक्टरीज हैं, चाहे पुरानी हों या नई लगने वाली हों, कोई फैक्टरी 1988 के बाद ऐसी नहीं रहेगी जहाँ से धूल या धुआ निकलकर लोगों के मांस में खरबो पैदा हो। सारे इंतजाम इन फैक्टरीज में दो साल के अंदर हो जायेंगे और दो साल का समय हमें इसलिए देना पड़ा कि एक प्लांट लगाने में तीन से 5 करोड़ रुपया तक खर्च होता है और उसमें भी समय लगता है। तो 1988 तक उन्होंने बचन दिया है कि 1988 तक हर हलत में सारे मुक में सीमेंट से प्रदूषण को रोकने का इंतजाम हो जायगा।

श्री प्रभाकर राव कलवल्ला: जो लाइसेंस देते हैं उसी वक्त क्यों नहीं करते ?

श्री भजन लाल : मैं उसी पर आ रहा हूँ । जब नई फैक्टरीज का लाइसेंस देंगे तो उनको कहेंगे कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा । उनकी फैक्टरी चल करने का लाइसेंस तब मिलेगा जब ट्रीटमेंट प्लांट वे लग एंगे चहे हवा का हो या वाटर का हो ।

अपने कहा कि विस्तीर मध्यता उनको दी जाए । तो चाहे यह स्टेट का काम हो या सेंटर का, सरकार की हमेशा कोशिश रही है और रहेगी कि जितनी मदद सरकार दे सकती है वह दी है और आगे भी देती रहेगी ।

इसके साथ ही साथ अपने कहा कि शमशान घाट के लिए बम्बई के पास जगह नहीं रहती है, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती । हम चहते हैं कि अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, लोगों की उम्र लंबी हो, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां शमशान घाट की व्यवस्था भी की जाती है । लेकिन जहां तक इस कानून को लागू करने की बात है, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा ।

प्रभाकर राव जी ने सोमेट फैक्टरी के बारे में पूछा जिसका मैंने जवाब दे दिया है । मिसेज पहाड़िया जी ने कहा कि भरतपुर में एक फैक्टरी है जो बड़ा भारी प्रदूषण करती है । मैंने जैसे पहले कहा सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबके लिए कानून एक जैसा है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी ।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया: श्रीमान्, दिल्ली में तुगलकाबाद में बम फैक्टरी है, यह आर्मी वालों की है ।

श्री भजन लाल : वह जो भी हो, सबके लिए कानून एक है ।

श्री कल्पनाथ राय जी ने पेड़ कटने के बारे में चर्चा की । यह चिन्ता का विषय है कि पेड़ कटने नहीं चाहिए । कई फैक्टरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बड़े-बड़े शहरों में लगती हैं । सरकार की नीति है कि फैक्टरियां बैकवर्ड एरिया में लगनी चाहिए । उसके लिए सरकार प्रोत्साहन देती है । जो लोग बैकवर्ड एरियाज में उद्योग लगाना चाहते हैं उनको सरकार सबसिडी देती है । यह इसलिए भी है लोग जो बड़े-बड़े नगर हैं वहां पर उद्योग न लगायें । फरीदाबाद का जिक्र किया, गाजियाबाद का जिक्र किया, गुडगावा का जिक्र किया । फरीदाबाद बैकवर्ड एरिया नहीं है लेकिन कुछ लोग दिल्ली के नजदीक होने के कारण फायदा उठाना चाहते हैं । ये लोग वहां उद्योग लगाना चाहते हैं जहां उनकी मार्किट हो, जहां उनकी सेल मार्किट हो । इसी बात को लेकर वे दिल्ली के नजदीक लगाते हैं । हमने बैकवर्ड एरियाज घोषित किये हुए हैं ताकि दिल्ली से काफी दूर फैक्टरी लगे । जहां फैक्टरी कम हों वहां फैक्टरी लगनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजगार भी मिले । इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, और अपने विचार रखे उन सब का धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ । बहुत-बहुत शुक्रिया ।